

**19 एवं 20 मई 2025 को पटना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) में टी बोर्ड
इंडिया के साथ भागीदारी के लिए परिपत्र**

संदर्भ सं NATL0DBSM/1/2025

दिनांक: 13.05.2025

ए. उद्देश्य

भारतीय जनता के मन में चाय की सकारात्मक छवि को सुदृढ़ करना, साथ ही खपत बढ़ाने के उद्देश्य से चाय को पसंदीदा पेय के रूप में बढ़ावा देना।

बी. परिचय

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद (टीपीसीआई) और बिहार सरकार के सहयोग से 19 और 20 मई, 2025 को पटना में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक (बीएसएम) का आयोजन कर रहा है। एपीडा बीएसएम में विदेश से लगभग 70-80 अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आमंत्रित करेगा। बीएसएम में विविध प्रकार के प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें कृषि-खाद्य वस्तुओं के विक्रेता, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खरीदार, सरकारी अधिकारी, स्टार्टअप, उद्योग विशेषज्ञ, निवेशक और उद्यमी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में एक प्रदर्शनी, चयनित क्षमता निर्माण सत्र और संरचित बी2बी सहभागिताएं शामिल होंगी, जो मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के लिए एक गतिशील मंच प्रदान करेगी।

उपरोक्त के मद्देनजर, टी बोर्ड इंडिया, एपीडा द्वारा 19 और 20 मई, 2025 को पटना में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम) में भाग लेने के लिए इच्छुक हितधारकों से आवेदन आमंत्रित करता है।

सी. आवेदनों की प्राप्ति एवं जांच:

1. एपीडा द्वारा 19 और 20 मई, 2025 को पटना में टी बोर्ड भारत के साथ आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम) में भाग लेने के लिए सभी आवेदन आवेदक द्वारा सर्विसप्लस पोर्टल (<https://serviceonline.gov.in>) पर ऑनलाइन जमा किए जाएंगे।
2. आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, विशिष्ट आईडी (संदर्भ संख्या) के साथ एक पावती स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगी। पावती आवेदन प्राप्ति की पुष्टि मात्र है तथा इससे आवेदक योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं बनता है।
3. टी बोर्ड द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी तथा आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना दी जाएगी।
4. ऐसे अनुपालन की पुष्टि करने वाले दस्तावेजों की कमी के कारण अपूर्ण किसी भी आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

डी. पात्रता मापदंड

1. टीएमसीओ 2003/टीडीईसीओ के अनुसार पंजीकृत भारतीय चाय कंपनियां
2. आवेदकों को यह वचन देना होगा कि वे व्यापार और कारोबार से संबंधित किसी भी आधार पर किसी जांच/आरोप/अभियोजन/निषेधित/काली सूची में नहीं हैं।

ई. शर्त

1. केवल भारतीय चाय को ही कार्यक्रमों में प्रदर्शित, नमूना और प्रदर्शित किया जाना चाहिए। भारतीय चाय जिसमें कैमेलिया साइनेसिस जैसा प्रमुख घटक न हो, साथ ही भारत के अलावा अन्य मूल की चाय को किसी भी परिस्थिति में प्रदर्शित, नमूना/बेचा/प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। टी बोर्ड सहित घरेलू मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए, प्रत्येक आवेदक को यथासंभव न्यूनतम विशिष्ट स्थान उपलब्ध कराया जाएगा।

2. प्रतिभागियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका प्रदर्शन सौंदर्यपूर्ण ढंग से हो तथा प्रदर्शनी की पूरी अवधि के दौरान उन्हें आवंटित स्थान पर समुचित व्यवस्था हो।
3. प्रदर्शनी लगाने वाली कम्पनियों के प्रतिनिधि अधिमानतः वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के होंगे। कार्यक्रम के समापन से पहले स्टॉल खाली छोड़ना गंभीरता से लिया जाएगा और इससे टी बोर्ड द्वारा अगले कार्यक्रम में भागीदारी की अस्वीकृति हो सकती है।
4. समूह कंपनियों के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जहां पूरे समूह को एक आवेदक माना जाएगा।
5. यदि प्रतिभागी जिसने भागीदारी की पुष्टि कर दी है, कार्यक्रम शुरू होने से एक महीने पहले भागीदारी से पीछे हटता है तो अग्रिम भागीदारी शुल्क और आवेदन शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
6. किसी विशेष आयोजन/मेले/प्रदर्शनी में उपलब्ध स्थान की तुलना में आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में, महत्व के अवरोही क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों को वरीयता दी जाएगी:
 - i. मूल्य संवर्धित/जैविक चाय/विशिष्ट चाय का कारोबार करने वाली कंपनियां/आवेदक
 - ii. एमएसएमई
 - iii. लघु चाय उत्पादक/ स्टार्ट अप
 - iv. बड़ी कम्पनियां
7. किसी विशेष श्रेणी में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने पर, उस विशेष श्रेणी के लिए आवेदक का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। एसटीजी को प्रत्येक आवेदक के लिए भागीदारी शुल्क के रूप में 1000 रुपये + जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, स्टॉल के लिए किसी भी शुल्क से छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लघु उत्पादकों के लिए कोई भागीदारी शुल्क नहीं होगा।
8. टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएं जैसे आवास, नमूना लेने के उपकरण, लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि तथा अन्य आकस्मिक शुल्क की व्यवस्था कंपनी को करनी होगी तथा कंपनी द्वारा ही वहन किया जाएगा।
9. स्व-घोषणा कि कंपनी ने किसी विशेष आयोजन के लिए सरकार की किसी अन्य योजना या किसी अन्य सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन से लाभ नहीं लिया है और न ही लेगी।
10. कंपनियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीए द्वारा प्रमाणित वार्षिक टर्नओवर प्रमाणपत्र।

एफ. आवेदन जमा

1. प्रत्येक विशेष आयोजन के लिए आवेदन पर केवल उस आयोजन को टी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के बाद ही विचार किया जाएगा। एपीडा द्वारा 19 और 20 मई, 2025 को पटना में आयोजित किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन (बीएसएम) में भागीदारी के लिए आवेदन और भागीदारी शुल्क के साथ आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15.05.2025 है।
2. यदि आयोजन में संयुक्त भागीदारी के लिए अपेक्षित कंपनियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जिससे टी बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान का इष्टतम उपयोग हो सके, तो टी बोर्ड अंतिम तिथि को बढ़ा सकता है।
3. यदि आवेदन करने वाली कम्पनियों की संख्या चाय बोर्ड के पास उपलब्ध स्थान से अधिक हो तो उनका चयन उपर्युक्त 6 एवं 7 के तहत उल्लिखित मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। तथापि, चयनित कंपनियों में से किसी द्वारा आवेदन रद्द करने या वापस लेने की स्थिति में प्राथमिकता सूची में अगली पात्र कंपनी को अवसर प्रदान किया जाएगा।

जी. आवेदन शुल्क

- 1) आवेदन शुल्क के रूप में 5,000/- + जीएसटी जमा करना होगा। वैध स्मार्ट कार्ड वाले लघु चाय उत्पादकों को 1000/- + जीएसटी का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छूट दी गई है।

- 2) आवेदन के समय भागीदारी शुल्क के रूप में 50,000/- रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) का अग्रिम भुगतान करना होगा। स्टार्ट-अप्स (स्टार्ट अप इंडिया के अंतर्गत पंजीकृत) के मामले में लागू नहीं। स्टार्ट-अप्स को बाद में लागू भागीदारी शुल्क का भुगतान करना होगा।
- 3) यदि कोई चयनित प्रतिभागी प्रतियोगिता प्रारंभ होने की तिथि से एक माह पूर्व तक अपना नाम वापस ले लेता है, तो उसका आवेदन और भागीदारी शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।

एच. आवेदनों की जांच

प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी और आवेदक कंपनियों की भागीदारी के बारे में यथाशीघ्र सूचना दी जाएगी।

आई. संस्वीकृति जारी करना

आवेदनों की जांच पूरी होने के बाद, धनराशि की उपलब्धता के आधार पर भागीदारी के लिए अनुमोदन की सूचना दी जाएगी। यात्रा, भोजन और आवास आदि की व्यवस्था प्रतिभागियों को स्वयं करनी होगी।

जे. गतिविधि के समापन के संबंध में सूचना

प्रतिभागियों द्वारा कार्यक्रम के समापन की तिथि से 4 सप्ताह के भीतर कार्यक्रम के बारे में रिपोर्ट और फीडबैक, उत्पन्न जागरूकता, प्राप्त ऑर्डर आदि प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

के. सहायता का स्तर:

- 1) सुसज्जित स्टाल की कुल लागत का 60%।
- 2) स्टार्ट-अप के मामले में उनके सुसज्जित स्टॉल के लिए कुल लागत का 80%।
- 3) दोनों पक्षों की ओर से अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, आयोजन के समापन के बाद अंतिम गणना के आधार पर समायोजित (वापस/वापस ली) कर दी जाएगी।
- 4) टी बोर्ड केवल बुनियादी सुसज्जित स्टॉल स्थान उपलब्ध कराएगा। अन्य सभी आवश्यकताएं जैसे आवास, नमूना लेने के उपकरण, लॉजिस्टिक्स, अतिरिक्त फर्नीचर, साज-सज्जा आदि तथा अन्य आकस्मिक शुल्क की व्यवस्था प्रतिभागी को स्वयं करनी होगी तथा उसे वहन करना होगा।